| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 13/01/25 | वकील प्रार्थी उप०। TDR, बून्दी की रिपोर्ट जरिये पत्रांक 6278 दिनांक 13/12/24 शा० मि० पत्रावली है। बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश दिनांक 17/01/25 को पेश हो। | |
| 17/01/25 | वकील प्रार्थी उप०। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया, शा० मि० हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:53 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

| मिसल नंबर | दायरा दिनांक | पीठासीन अधिकारी |
|---|---|---|
| 10/प्रा0प0/2023 | 08.06.2020 | हरबिन्दर डी0 सिंह, आर0ए0एस0 |

जानकीबाई (जानाबाई) पुत्री नन्द किशोर जाति माली पत्नी श्री शम्भू लाल निवासी देवपुरा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रार्थीया

—बनाम—

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी राज०।

—अप्रार्थी

**आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0ले0रे0 एक्ट**

## निर्णय

दिनांक—17.01.2025

उपस्थित— प्रार्थीया की ओर से एडवोकेट श्री प्रकाश चन्द भण्डारी।
अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीया द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा संख्या 873, 874, 898, 899, 900, 901, 902, 913, कुल किता 8 कुल रकबा 1.0537 हैक्टेयर कृषि भूमि ग्राम नमाना पटवार हल्का नमाना तहसील एवं जिला बून्दी में विस्थित हैं, की आराजी संयुक्त खाते में अंकित है। संयुक्त खाते में 1/4 हिस्सा प्रार्थीया का हैं प्रार्थीया 1/4 हिस्से की खातेदार हैं ओर संयुक्त खातेदार के रूप में आराजी पर काबिज हैं। प्रार्थीया विवाहिता महिला हैं प्रार्थीया के पिता का नाम नन्द किशोर जी जाति माली हैं। प्रार्थीया का विवाह होने के पश्चात प्रार्थीया अपने पति श्री शम्भू लाल जी जाति माली निवासी देवपुरा में अपने पति के पास रह रही हैं। प्रार्थीया के पिता नन्द किशोर जी के एक मात्र पुत्री प्रार्थीया हैं राजस्व रिकोर्ड में जाना बाई पुत्री नन्द किशोर जी अंकित हो गया हैं प्रार्थीया का नाम जानकी बाई हैं जानकी बाई व जाना बाई अलग अलग महिला नहीं है बल्कि एक ही हैं। प्रार्थीया द्वारा पूर्व में ही व्यक्त किया गया हैं कि प्रार्थीया के पिता के एक मात्र लड़की हैं जो प्रार्थीया हैं। जाना बाई व जानकी बाई अलग अलग महिला नहीं है वरन एक ही महिला हैं। राज्य सरकार द्वारा बनाये गये राशन कार्ड, आधार कार्ड में जानकी बाई का नाम अंकित हो रहा हैं राजस्व रिकोर्ड में जाना बाई का नाम दर्ज रहने से प्रार्थीया को जो कानूनी अधिकार प्राप्त हैं उसका उपयोग उपभोग लेने में हमेशा असुविधा होती हैं जाना बाई व जानकी बाई को अलग अलग महिला मानते हैं इस आधार पर प्रार्थीया के अधिकारों का हनन होता हैं। प्रार्थीया राजस्व रिकोर्ड में जाना बाई के स्थान पर जानकी बाई अंकित करवाना चाहती हैं इससे राजस्व रिकोर्ड में मूलभूत अधिकारो में कोई परिवर्तन नही होता हैं। इस सम्बन्ध में प्रार्थीया ने सम्बन्धित पटवारी व राजस्व अधिकारियों से मिलकर निवेदन किया तो प्रार्थीया को मौखिक रूप से बताया गया कि इस सम्बन्ध में [illegible] अधिकारी महोदय के न्यायालय में नियमानुसार आवेदन पत्र पेश करके वांछित [illegible] हैं। प्रार्थीया ने अपने आवेदन पत्र में जिन तथ्यो का अंकन किया हैं उसके आधार [illegible] अन्य सह खातेदारो के अधिकारो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हैं [illegible] इस आवेदन पत्र में आवश्यक पक्षकार नहीं हैं। प्रार्थीया [illegible] इत्यादि तथ्य अंकित कर निवेदन किया कि संयुक्त खाते में अंकित आराजी खसरा संख्या 873, 874, 898, 899, 900, 901, 902, 913, कुल किता 8 कुल रकबा 1.0537 हैक्टयर कृषि भूमि ग्राम नमाना पटवार हल्का नमाना तहसील एवं जिला बून्दी में विस्थित हैं की आराजी संयुक्त खाते में अंकित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 10:49:53 IST
Reason: Self Attested

संयुक्त खाते में 1/4 हिस्सा प्रार्थीया का है प्रार्थीया 1/4 हिस्से की खातेदार हैं ओर संयुक्त खातेदार के रूप में आराजी पर काबिज है संयुक्त खाते में जानाबाई पुत्री नन्द किशोर के स्थान पर जानकी बाई पुत्री नन्द किशोर अंकित फरमाया जावें।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, बून्दी से प्रार्थना पत्र के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बून्दी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/2024/6278 दिनांक 13.12.2024 से अवगत कराया हैं कि खाता संख्या 6 किता 8 रकबा 1.0537 है0 वाके ग्राम नमाना में ज्यानाबाई पुत्री नन्दकिशोर हिस्सा 1/4 जाति माली सा0 देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा नमाना रहन दर्ज हैं। ज्यानाबाई का नाम नन्दकिशोर की विरासत् का नामान्तकरण 1126 सन् 2007 से आया हैं। प्रार्थीया के उपलब्ध करवाये गये दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, जनाधारकार्ड, बैंक पासबुक में प्रार्थीया का नाम जानकीबाई पत्नी शम्भूलाल माली सा0 भैरूपुरा औझा बून्दी दर्ज हैं तथा पेन कार्ड पर जानकीबाई पुत्री नन्दकिशोर दर्ज हैं। ज्यानाबाई व जानकीबाई एक ही महिला के दो नाम हैं। अतः ज्यानाबाई के स्थान पर जानकीबाई शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र विषयक आराजी के राजस्व रेकार्ड में सहवन से ज्यानाबाई अंकित कर दिया हैं जबकि प्रार्थीया का दस्तावेजी नाम जानकीबाई हैं। राजस्व रेकार्ड में ज्याना बाई अंकित होने से प्रार्थीया को अपने काश्तकारी कार्य में अड़चनों का सामना करना पड रहा हैं। इसलिये श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र विषयक आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम जानकीबाई अंकित करने की कृपा करें।

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न ग्राम नमाना के जमाबंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 6 पुराना 5 की आराजी कुल किता 8 कुल रकबा 1.0537 है0 में प्रार्थीया का नाम ज्यानाबाई पुत्री नन्दकिशोर अंकित हैं। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, बून्दी ज्यानाबाई व जानकीबाई के ही नाम हैं। इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना एवं वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में ज्यानाबाई के स्थान पर ज्यानाबाई उर्फ जानकीबाई किया जाना न्यायोचित हैं।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी राजस्थान के जमाबंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 6 पुराना 5 की आराजी खसरा संख्या 873, 874, 898, 899, 900, 901, 902, 913 कुल किता 8 कुल रकबा 1.0537 है0 में काश्तकार के नाम में अंकित प्रविष्टी "ज्यानाबाई पुत्री नन्दकिशोर" के स्थान पर "ज्यानाबाई उर्फ जानकीबाई पुत्री नन्दकिशोर" अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। तदनुसार तहसीलदार, बून्दी को चिट्ठी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:53 IST
Reason: SelfAttested

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी